न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः-- श्री अयूब खान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 06 / 2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. जैतुन पत्नी उस्मान बक्सा जाति घोसी मुसलमान हाल निवासी रामदेवरा रोड, बगडी नगर, तह0 सोजत जिला पाली राज0		1. मोहम्मद सलीम पुत्र उस्मान बक्सा 2. फिरोजा बानो पत्नी मोहम्मद सलीम जातियान घोसी मुसलमान, निवासीगण बगडी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितिः--

1. श्री दिवाकर शर्मा 2. श्री देवेन्द्र व्यास 3. श्री कैलाश दवे विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीया ।

–: निर्णय :– दिनांक – 25.02.2019

प्रार्थीया ने दिनांक 18.09.2018 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण उम्रदराज महिला है, जो बगडीनगर की निवासी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जो प्रार्थीया के जायन्दा पुत्र है, तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की पुत्रवधु है। प्रार्थीया जो आधारकार्ड से सीनियर सिटीजन है, ने मेहनत मजदूरी एवं गृह उधोग करके अपने पति के साथ ताउम्र अपने जाईन्दा संतानो एवं उनकी आल औलाद के लालन पालन सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही विवाह शादी करवा कर पृथक पृथक रूप से व्यापार व्यवसाय करवा दिये थे एवं सभी पुत्र अपने अपने पैरो पर खडे है और अपनी आजीविका चला रहे है। जिनको प्रार्थीया के पति के द्वारा यथाशक्ति रहने के लिये मकानात बाबत रूपये देकर प्लोट लेकर निर्माण करवा कर सुपुर्द कर दिये थे। प्रार्थीया का स्वयं का खरीदसुदा, निर्मितसुदा मकान जो कि ग्राम बगडी नगर में स्थित है, जिसको प्रार्थीया ने दिनांक 29.04.1997 को गुलाबचन्द पुत्र घनश्यामदास, जाति सिन्धी निवासी सोजत रोड़ से एक भूखण्ड क्रय किया, जो कि स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आता है। जिस पर प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत बगडीनगर से आवेदन दिनांक 05.06.2004 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख अर्थात पट्टा जारी करवा दिया था। जिसके पट्टा संख्या 1566 बुक संख्या 32 रसीद संख्या 65 तथा दिनांक 09.06.2004 के द्वारा 200/– रूपये की रसीद से उक्त पटटा प्राप्त कर प्रार्थीया ने वर्णित सम्पति जिसका नाप उत्तर में 34 फुट, पश्चिम 61 फुट, पर्व में 79 फुट व दक्षिण में 30 फुट, जिसका कुल वर्गगज 248.88 एवं वर्गफुट 2240 है। उत्तर में स्कीम का रास्ता 20 फुट व मकान का दरवाजा, दक्षिण में सडक सोजतरोड से बगडी का एवं मकान का दरवाजा पूर्व में प्लॉट सं0 9 व 10 तथा पश्चिम में प्लॉट से 7 व 12 स्थित है। उपरोक्त पडौस के बीच के भूखण्ड पर प्रार्थीया ने पक्का पटटीपोश मकान अपनी गाढी कमाई से बनाया था। ताकि उसकी वृद्धावस्था में कमाई का एवं भरण–पोषण का जरिया बन सके। कुछ दिन पूर्व प्रार्थीया उम्रदराज होने से उपरोक्त वर्णित मकान की सफाई करने बाबत मकान को खोल कर जायजा लिया, एवं मजदूर बुलाने के लिये गई हुई थी, जिस समय मकान के ताला नहीं लगा कर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

कुण्डी लगा दी थी, जब वापिस आयी तो मकान पर ताला लगा हुआ मिला, पास में ही इस में बने प्रार्थीया के पति के मकान में रहने वाले जाईन्दा पुत्र मोहम्मद सलीम की बहू अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि "ताला हमने लगाया है। सब चाबीयां भी हमारे पास है, अब चाबी के सपने आयेगे, एक बार जो मकान में रहता हैं मकान उसका हो जाता है। जो भी कोर्ट कचहरी में केस करना है जो कर लो, इस मकान में अब हम ही रहेंगे। तब प्रार्थीया ने अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीया की आवाज सुनकर बाहर आया, उस समय भी प्रार्थीया ने हाथा जोडी कर मिन्नते की कि मै सफाई करने के लिये आयी थी, लेकिन तेरी बहु ने मकान पर ताला लगा दिया है। इसको समझा और मेरे मकान की चाबीयां वापिस दे दो तुम्हारे पास रहने के लिये तुम्हारें पिता का मकान है, जो पर्याप्त है, जो मकान बडा है जिसमें तुम आराम से निवास कर रहे है, खा कमा रहे हों। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने भी अप्रार्थी संख्या 2 की हां में हा मिलाकर कहा कि यह भी बहु है, इसने ताला लगा दिया है तो कौनसा गुनाह हो गया है। तू दूसरे बेटो के साथ रह ले तुझे मकान की कहा जरूरत है। ऐसा कहकर दोनो वापिस मकान में चले गये एवं दरवाजा बंद कर दिया तब मैं लोक लाज से शंका करती हुई यह घटना किसी को नहीं बताई व मेरे छोटे पुत्र अमरूदीन के घर पर आ गयी। दिनांक 17.09.2018 को मेरे पति ने कहा कि "तेरे मकान की चाबीयां दे वहां पर कोई रंग रोगन करवा देते हैं ताकि वक्त जरूरत आराम से रह सके"। जिस पर मैनें सारा घटना क्रम अपने पति को बताया। प्रार्थी के किसी प्रकार की आय का कोई साधन नही है तथा न ही किसी प्रकार का कोई काम काज आदि करता है एवं स्वतंत्र रूप से निवास का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया इस अवस्था में भी किसी भी प्रकार से भरण–पोषण बाबत् अपने जाईन्दा पुत्रों से मांग नहीं कर रही हैं। प्रार्थीया खुद्दार महिला है, जो अभी भी छोटा बडा कर बिंदी का काम धंधा कर अपने एवं अपने पति का पालन पोषण कर रही है। प्रार्थीया का पति मोटापे एवं घुटनों की बीमारी से ग्रसित है, जिसके ईलाज में बहुत अधिकर राशि व्यय होती है एवं उनकी सेवा चाकरी में व्यस्त रहती है। इस प्रकार प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वर्णित मकान, दुकान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अवैध रूप से कब्जा पुनः प्रार्थीया को सुपुर्द करवाये जाने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कार्यवाही में लगने वाले हर्जे खर्चे 5000/– रूपये मानसिंक क्षति के रूप से हुई परेशानी के लिये हर्जाना दिलवाये जाने तथा इस आशय से पाबंद किये जाने की भविष्य में इस प्रकार की घटना पुनः नहीं होने देने/करने तथा प्रार्थीया की जान माल की सुरक्षा किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 24.10.2018 को श्री दिवाकर शर्मा, देवेन्द्र व्यास, कुन्दनमल व कैलाश दवे ने संयुक्त रूप से वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल है। दिनांक 24.10.2018 को अप्रार्थीगण मय अप्रार्थीगण लिखित जबाब के उपस्थित हुए जिन्होंने अपने जबाब में अंकित किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया का पुत्र व पुत्रवधु है। अप्रार्थी बेरोजगार होने से प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को उपहार में दिये मकान में अपना वैल्डिंग का कार्य होने से लोहे का सामान रखा हुआ है, मकान प्रार्थीया द्वारा स्वयं अपनी स्वैच्छा से अप्रार्थी संख्या 1 को दिया है। लेकिन आपसी पारिवारिक अनबन होने के कारण प्रार्थीया ने अपने दो अन्य पुत्रों शेर मोहम्मद व उमरद्धीन के बहकावे में आकर कार्यवाही प्रस्तुत की है। प्रार्थीया अपने उक्त पुत्रों के साथ ही निवास करती है। प्रार्थीया ने हमेशा ही अप्रार्थी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, प्रार्थीया के पास बगड़ीनगर में करोड़ो रूपये की सम्पदा व मिठाई, दुध, रबडी का व्यवसाय है। जो प्रसिद्ध है, जिनमें इनका नाम व प्रतिष्ठा है।

अप्रार्थी संख्या 1 की माता प्रार्थीया व पिता उस्मानबक्ष ने अपनी तीनों बेटो का ब्याह कराया, लेकिन अपना मिठाई का व्यवसाय मात्र अपने दोनों बेटों शेर मोहम्मद व उमरद्धीन को कराया। अप्रार्थी संख्या 1 को पारिवारिक कलह के कारण व अपने माता पिता द्वारा दोगला

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

हाद करने के कारण बगडीनगर छोडकर जाना पड़ा व अन्य जगह 9 सालों तक मजदूरी करनी पडी. किराये के मकान मे रहना पडा। अप्रार्थी संख्या 1 की माता प्रार्थीया व पिता उस्मानबक्श ने अपने बडे बेटे शेर मोहम्मद व छोटे बेटे उमरद्दीन को बहुमूल्य सम्पति जो करोडो रूपये की है, प्रदान की व अपने मझले बेटे यानी अप्रार्थी संख्या 1 को हमेशा अपने से दूर ही रखा। अपनी मिठाई की पेढी भी बडे बेटे शेर मोहम्मद व छोटे बेटे उमरद्दीन को दी। हमेशा अप्रार्थी संख्या 1 कोहैरान व परेशान किया है व सम्पति से वंचित किया है, जिसका एक मात्र कारण अप्रार्थी संख्या 1 अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या 2 को तलाक दे। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा नही किया। अप्रार्थी संख्या 2 फिरोजाबानो की बहन फरीदाबानो की शादी अपने देवर उमरद्दीन के साथ हो रखी थी, जो भी प्रार्थीया ने दबाव प्रभाव से तलाक करवा दिया व अप्रार्थी संख्या 1 पर भी प्रार्थीया ने दबाव दिया कि व अपनी पत्नि को तलाक दे, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक जोजियत से एक पुत्र व दो पुत्रीया है। पुत्र मो0 जैद उम्र 12 वर्ष के माईग्रेन की बीमारी है व दोनो पुत्रीया तजीम कौसर तिसरी कक्षा व माही दूसरी कक्षा में सरकारी स्कूल मे अध्ययनरत है। पैरा मे दर्ज प्लॉट प्रार्थीया ने स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 को दिया है, जो पिछले दो सालो से अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही है जिसमे अप्रार्थी की वैल्डिंग के कार्य का लोहे का सामान रखने के काम आ रहा है। प्रार्थीया को वर्तमान में प्लोट की कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी मेहनत से मजदूरी कर रहा है तो भी उसमें अड़चन पैदा करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 वैल्डिंग का कार्य कर मजदूरी करता है, आय भी अधिक नही है। पैरा 4, 5, 6, 7 मे अंकित तथ्यों को बिलकुल ही झूठा व बनावटी, मनगढत होने से अस्वीकार किये है, जिसमें कोई सच्चाई नही है। प्रार्थीया करोडो की सम्पति की मालकिन है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच आपसी घरेलू विवाद होने से प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को येनकेन प्रकरेण परेशान करने की नियत से यह कार्यवाही की है। अगर ऐसा ही है तो अप्रार्थी को किराया देने को तैयार है।

अधिवक्ता मय प्रार्थीया दिनांक 30.01.2019 को शहादत वादीया पी0डब्यलु–1 जौतुन उपस्थित आए। शहादत प्रार्थीया के दौरान दिनांक 30.01.2019 को मुख्य परीक्षण में दौराने बयान प्रार्थीया ने बताया कि मेरा नाम जैतून है मेरी शादी को लगभग 40–50 साल हो चुके है। मेरे वैवाहिक जीवनकाल के नुक्ते से 3 लडकिया व 3 लडके उत्पन्न हुए। तीनों लडकिया अपने ससुराल में आबाद है जिनको नाम चन्दाबानो, मुमताज बानो, मदीना बानों है मेरा सबसे बडा पुत्र शेर मौहम्मद, उससे छोटा मोहम्मद सलीम व सबसे छोटा अमरूदीन है मैने व मेरे पति ने तीनों संतानों को अपने जीवनकाल में ही अलग अलग मकानात व व्यवसायिक करवा दिये थे। पिछले काफी सालों से मेरा बीच वाला पुत्र अपने ससुराल आबूरोड मे ही वैल्डिंग का ही काम कर रहा था। आज से लगभग 2--3 साल पहले हम दोनो पति पत्नि हज करने के लिए जाने की तैयारी की । तब सभी परिवारवालो ने मिलकर आबूरोड से मो0 सलीम व उसकी पत्नि को बगडीनगर लेकर आये व उसकी व उसकी पत्नि की इच्छा के अनुरूप रहने के लिए निम्न हदूद वाला मकान जिसके पूर्व में किशन सोनी व गुलाबसिंह व पश्चिम में जैतून पत्नि उस्मान घोची का निर्मित सुदा मकान व दुकान उत्तर मे रास्ता 20 फीट चौडा व मकान का दरवाजा दक्षिण में मकान दरवाजा व आगे सोजत रोड जाने वाली सडक के बीच वाला परिसर जो तीन दुकान व मकान सहित रहने को दे दिया व जिस पर मो0 सलीम ने अपने नाम पर बिजली कनेक्सन ले लिया जिस पर व्यवसाय व रहवास आरम्भ कर दिया। तब से लेकर आज तक उसी पर रह रहा है तथा व्यवसाय कर रहा है। उक्त मकान की मेरे पति ने दिनांक 12 जुलाई 2016 को उपपंजीयन कार्यालय बगडीनगर में मो0 सलीन के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत नामा निस्पादित करवा दिया, जो आज दिन तक अस्तित्व में है एवं साथ ही सौ नकदी श्तो में 5 लाख रूप्ये जिसमें 3 लाख मैने व 2 लाख मेरे पति ने लोहे के वैल्डिंग व्यवसाय के लिए दिये थे। हम दोनो पति–पत्नि ने आज दिन तक मो0 सलीम व उसकी पत्नि से समस्ती सामाजिक खर्चो में किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग नहीं लिया एवं न ही अपने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के लिए गुजारा भता इससे मांगा है। दिनांक मझे याद नहीं है लगभग 15 अगस्त के 20 दिन बाद में अपने मकान जिसके कागजात मैने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये एव जिसके पडौस में ही मो0 सलीम का रहवासी मकान आया हुआ है। जो मैने अपने स्वय के मेहनत मजदूरी से खरीदा व बनाया है। जिसकी सफाई के लिए में चाबिया लेकर गई थी ताले खोलकर कचरा आदि होने व गंदा ज्यादा होने से ताला खुला छोड़कर ही गांव में मजदूर बुलाने गई थी। वापस आने पर मकान व दुकानों पर ताला लगा मिला। पास ही सलीम की बहुं फिरोजा बानों से पूछा ताला किसने लगाया है तब उसने कहा ताला हमने लगाया है चाबिया भी हमारे पास है अब चाबी के सपने आयेगे एक बार जो मकान में रहता है मकान उसका हो जाता है। जो भी कोर्ट कचेरी में केस करना हो कर लो अब इस मकान में हम ही रहेंगें। तुम्हे मकान की कहा जरूरत है तुम अमरूदीन के साथ रह लो। यह सब बाते सुनकर मेरा पुत्र मो0 सलीम भी आ गया उसने भी मेरी बात नही मानी और कहा कि चुपचाप यहा से चली जा और दोनो पति–पत्नि झगडे पर उतारू हो गये, मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया। लेकिन घर की इज्जत को देखते हुए मैने इस बाबत् कोई कार्यवाही नही की और न ही किसी को बताया इसके बाद में अपने छोटे पुत्र अमरूदीन के घर आ गई, दिनांक मुझे याद नहीं है। मेरे पति ने मेरे से प्लास्टर व रंग रोगन करवाने के लिए मेरे घर की चाबिया मांगी तब मैने रोते बिलखते पूरी बात अपने पति को बताई तब उन्होने समझदार लोगो से सलाह कर आपके यहां एस0डी0एम0 साहब के यहां शिकायत की। मेरे पास इस मकान के अलावा कोई भी रहने के लिए दूसरा मकान नही है और न ही कोई अन्य विकल्प है। इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नही रहती है। मेरे मकान का पटटा मेरे स्वयं के नाम से है जो ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा जारी है। मेरे पति द्वारा मो0 सलीम के पक्ष में किये गये वसीयतनामा की फोटो कापी मैने पेश की है। जो कि उसके पास रहने व कमाने के लिए पर्याप्त है लेकिन उसकी नियत में खोट आने से उसने मेरी वृद्धावस्था को देखते हुए मेरा मकान कब्जा लिया है। ताकि मेरे इंतकाल के बाद उसका हो जाए। अब मै अपने पति के साथ स्वतंत्र रूप से मेरे मकान मे रहना चाहते है। क्योकि परिवार बढने से मेरे पुत्रों द्वारा व्यवसाय की जिम्मेदारी में सभी व्यस्थ रहते है। इससे दिन–भर हम दोनो पति–पत्नि अकेले रहते है। अमरूद्धीन के मकान में पुराने लेटरीन बाथरूम होने से मेरे पति जिनका घुटनों व कूल्हो का आपरेशन हो रखा है तथा मेरे भी यही समस्या है जिससे हमें रोजमर्रा के कार्यो में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम पति–पत्नि स्वयं के मकान में सुविधानुसार व्यवस्था कर स्वतंत्र रूप से रहना चाहते है। इसलिए मुझे मेरा मकान दिलवाया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बार बार आवाजें दिलाये जाने पर दिनांक 30.01.2019 को अनुपस्थित रहने से जिरह अप्रार्थीगण तथा अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत प्रार्थीगण बंन्द की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात दिनांक 30.01.2019 को सामिल मिसल किये गये।

अंतिम बहस अधिवक्ता मय प्रार्थीया सुनी गई। अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण ने उपहार मे देने बाबत् किसी प्रकार दस्तावेजिक व मौखिक साक्ष्या प्रस्तुत नही किया गया है क्योकि वास्तव में उसने कभी अपना मकान अप्रार्थीगण व अन्य किसी को भी नही सुपुर्द किया गया, न ही उपहार या बक्षीश की थी। तलाक देने के लिए दबाव की बात निराधार है प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति ने आबूरोड से बुलाकर अप्रार्थीगण को रहने व व्यवसाय करने के लिए जरिए वसीयत नामा 3 दुकान सहित मकान के साथ ही नकद राशि देकर व्यवसाय आरम्भ करवाया। अगर प्रार्थीया सौतेला व्यवहार करती तो अप्रार्थी को आबूरोड से लाकर बगडी में मकान व व्यवसाय नहीं करवाते। उक्त विवादग्रस्त मकान के बारे मे अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में बताया है कि उक्त मकान उनके सामान रखने के काम आ रहा है। जबकि अप्रार्थीगण के पास पर्याप्त रूप से सामान रखने के लिए पहले से ही तीन दुकाने है। प्रार्थीया का उक्त मकान जो उसकी स्वअर्जित सम्पति है, जिसके समर्थन मे मालिकाना

उप खण्ड अधिकारी
बोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के दस्तावेज भी पेश किये है जो सामिल मिसल किया गया है। प्रार्थीया के पास वर्तमान रहने का विकल्प नही है। दौराने बहस अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत/उद्धहरण क्रमशः सेराराम बनाम बाबूलाल व अन्य न्यायालय हाजा से विविध प्रकरण संख्या 39/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2015 भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 नीतिन कुमार बनाम एस0डी0ओ0 श्रीगंगानगर एवं अन्य एस0बी0 सिविल रिट् पीटीशन 5658/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, एस0 बी0 सिविल रिट् याचिका संख्या 36/2012, हिम्मतसिंह बनाम एस0डी0ओ0 श्रीगंगानगर एवं अन्य निर्णय दिनांक 07.08.2018 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर तथा ओमप्रकाश मनचंदा बनाम डी0एम0 कानपुर नगर इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2018 के न्यायिक दृष्टांतों/उद्धरणों की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मय अधिवक्ता का स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थिया के पास उक्त पट्टा संख्या 32/1566 दिनांक 05.06.2004 का पटटा सुदा मकान रहवास का एक मात्र स्वअर्जित मकान व दूकान है पर अनधिकृत/अवैध रूप से किये गये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अनैतिक कब्जे से बेदखल किया/हटाया जाकर प्रार्थीया को पुनः कब्जा जरिए पुलिस ईमदाद दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वय अथवा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने से अर्थात उक्त बहस उपस्थित नहीं आने से आज एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजात जवाब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों तथा बहस/व्योक्तिशः सुने जाने पर व्यक्त तथ्यों पर पर मनन किया गया। वस्तुतः मुख्यतः संतान का अपने माता पिता की बुढापे में सेवासुश्रुषा करना प्राथमिक कर्तव्य बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया जो एक वृद्ध महिला है एवं विवादग्रस्त सांम्पति जो कि उसकी स्वअर्जित सम्पति है जिस पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है। जिसके बाबत् प्रार्थीया अप्रार्थीगण को बेदखल कर पुनः कब्जा सुपुर्द दिलाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने स्वयं/अपने पति की बीमारी का ईलाज भरण–पौषण रखरखाव आदि का जिम्मा स्वयं ने लिया है तथापि उसके एकमात्र स्वअर्जित मकान/भरण–पोषण के साधन दूकान पर संतान अर्थात पूत्र/पुत्रवधु द्वारा ताला लगाकर वरिष्ठ परिजनों के भरण–पौषण/रहवास की स्वयं द्वारा व्यवस्था नहीं करते हुए प्रार्थिया द्वारा किये जाने में भी अवरोध की स्थिति पैदा की है। यद्धपि अधिनियम की धारा 23 में उपहार आदि में दिये गये सम्पतियों को भी अगर संताने अपने सेवा कर्तव्यों से विमुख हो जाये एवं दुर्व्यवहार करे तो न्यायालय को उक्त उपहार आदि के बाबत् किये गये निष्पादन को निरस्त करने का अधिकार है। तथापि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ये साबित करने में विफल रहे है कि पृथक से मकान/दूकाने रहने कमाने हेतु दी गई सम्पति के अलावा उक्त स्वअर्जित विवादग्रस्त मकान/दूकान भी उनको प्रार्थीया ने उपहार स्वरूप दी हो। अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण/नजीरे भी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा बहस के कथनों के समर्थन में उचित चस्पा होते है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थिया का प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थिया के स्वअर्जित उक्त पटटा संख्या 32/1566 के मकान/दुकान पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अनाधिकृत/अनैतिक/अवैधानिक रूप से किया कब्जा हटाकर प्रार्थिया को पुनः कब्जा दिलवाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत व थानाधिकारी बगडीनगर को अधिकृत कर (आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद) कब्जा सुपुर्द किये जाने बाबत् आदेशित किया जाता है। साथ ही उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

अधिकारी पुलिस थाना–बगड़ीनगर को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जाना उचित समझते

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया के स्वअर्जित उक्त पट्टा संख्या 32/1566 में निर्मित मकान/दुकान पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अनाधिकृत/अनैतिक/अवैधानिक रूप से ताला लगाकर किया गया कब्जा हटाकर प्रार्थिया को पुनः कब्जा दिलवाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत व थानाधिकारी बगड़ीनगर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सोजत एवं थानाधिकारी बगड़ीनगर को उक्त मकान व दूकान का (आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद) पुनः कब्जा सुपुर्द किये जाने बावत् आदेशित किया जाता है। साथ ही उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत थानाधिकारी पुलिस थाना–बगड़ीनगर को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें, अर्थात् फर्द कब्जा सुपुर्दगी/प्राप्ति तहरीर/सत्यापित कर संयुक्त रूप से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner